वचिाराधीन कैदियों के लयि मतदान का अधकिार

प्रलिम्सि के लयि:

कैदियों के वोट का अधकिार, एनसीआरबी, अनुच्छेद 14 (समानता का अधकिार) से संबंधति प्रावधान।

मेन्स के लयि:

वचिाराधीन कैदियों के लयि मतदान का अधकिार।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने जनप्रतनिधित्वि कानून के एक प्रावधान को चुनौती देने वाली एक याचकिा पर वचिार करने का फैसला कयिा है जो वचिाराधीन कैदियों, **सवििलि जेलों** में कैद व्यक्तयिों और जेलों में सज़ा काट रहे कैदियों पर वोट डालने से पूर्ण प्रतबिंध लगाता है।

संबंधति नहितिार्थ:

- **जनसंख्या के एक बड़े हसि्से को वंचति करता है:**
    - राष्ट्रीय अपराध रपिोर्ट ब्यूरो (एनसीआरबी) की वर्ष 2021 की नवीनतम रपिोर्ट से पता चलता है कि 31 दसिंबर, 2021 तक देश भर की वभिन्नि जेलों में कुल 5,54,034 कैदी थे।
    - वर्ष 2021 के अंत तक दोषयिों, वचिाराधीन कैदियों और बंदयिों की संख्या क्रमशः 1,22,852, 4,27,165 और 3,470 थी, जो कुल कैदियों के क्रमशः 22.2%, 77.1% और 0.6% थी।
    - वर्ष 2020 से 2021 तक वचिाराधीन कैदियों की संख्या में 14.9% की वृद्धि हुई थी।
- **कानून और लोकतंत्र के सम्मान में कमी:** जेल के कैदियों को मताधकिार से वंचति करने से ऐसा संदेश पहुँचने की अधकि संभावना है जो उन मूल्यों को बढ़ाने वाले संदेशों की तुलना में कानून और लोकतंत्र के प्रतसिम्मान को कमज़ोर करते हैं।
- **अधकिार से वंचति रखना:**
    - वोट देने के अधकिार से वंचति रखना दंड के वैद्य मापदंडों का अनुपालन नहीं करता है।
    - यदि एक दोषी व्यक्ति जमानत पर बाहर होने पर मतदान कर सकता है, **तो एक वचिाराधीन व्यक्ति को उसी अधकिार से वंचति क्यों कयिा जाता है,** जसि अभी तक कानून की अदालत द्वारा अपराध का दोषी नहीं पाया गया है।
    - यहाँ तक कि एक देनदार (एक व्यक्ति जसिने अदालत के फैसले के बावजूद अपने कर्ज का भुगतान नहीं कयिा है) जसि एक नागरकि के रूप में गरिफ्तार कयिा गया है, उसे वोट देने के अधकिार से वंचति कयिा जाता है। **सवििलि जेलों में नज़रबंदी अपराधों के लयि कारावास के वपिरीत है।**
- **उचति वर्गीकरण का अभाव:**
    - दक्षणि अफ्रीका, यूनाइटेड कगिडम, फ्राँस, जर्मनी, ग्रीस, कनाडा, आदि देशों के वपिरीत इस प्रतबिंध में अपराध की प्रकृति या सज़ा की अवधि के आधार पर उचति वर्गीकरण का अभाव है।
    - वर्गीकरण का यह अभाव अनुच्छेद 14 (समानता का अधकिार) के तहत समानता के मौलकि अधकिार के लयि अभशिाप है।

मतदान से संबंधति कैदियों के अधकिार:

- संवधिान के **अनुच्छेद 326 के तहत मतदान का अधकिार एक संवैधानकि अधकिार** है।
- **लोक प्रतनिधित्वि अधनियिम, 1951 की धारा 62(5)** के तहत पुलसि की कानूनी हरिासत में और **दोषी ठहराए जाने के बाद कारावास की सज़ा काटने वाले व्यक्ति मतदान नहीं कर सकते।** वचिाराधीन कैदियों को भी चुनाव में भाग लेने से बाहर रखा जाता है, भले ही उनके नाम मतदाता सूची में हों।
- केवल निवारक निरोध के तहत शामलि व्यक्ति डाक मतपत्रों के माध्यम से अपना वोट डाल सकते हैं।

UPSC सवििलि सेवा परीक्षा वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न- भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजियेः

1. जब कोई कैदी पर्याप्त आधार प्रस्तुत करता है तो ऐसे कैदी को पैरोल से वंचित नहीं किया जा सकता क्योंकि यह उसके अधिकार का मामला बन जाता है।
2. कैदी को पैरोल पर छोड़ने के लिये राज्य सरकारों के अपने नियम हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (b)

व्याख्या :

- पैरोल को उन कैदियों के लिये विशेषाधिकार के नज़रिये से देखा जा सकता है जो समाज में फिर से शामिल होने में सक्षम प्रतीत होते हैं।
- हालाँकि कुछ आपराधिक कानून पैरोल की अंतिम सुनवाई का अधिकार रखते हैं, विशिष्ट कानून पैरोल की पूरी तरह से गारंटी नहीं देते हैं। जिन कैदियों को वे खतरनाक समझते हैं, उन्हें पैरोल देने से इनकार करने का अधिकार अधिकारियों के पास है। **अतः कथन 1 सही नहीं है।**
- पैरोल, जेल अधिनियम, 1894 और जेल अधिनियम, 1900 के तहत बनाए गए नियमों द्वारा शासित होता है। कई राज्य सरकारों ने निर्णय लेने की सुविधा के लिये दिशा-निर्देश भी तैयार किये हैं ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि किसी विशेष मामले में पैरोल दी जानी चाहिये या नहीं। उदाहरण के लिये राजस्थान प्रिज़िनर्स रिलीज़ ऑन पैरोल नियम, 1958। **अतः कथन 2 सही है।**

अतः विकल्प (b) सही है।

[स्रोत: द हिंदू]

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/voting-rights-for-under-trial-prisoners